कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 26-11-2025 “ऑपरेशन कनविक्शन” थाना- कोतवाली

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट सं0 4 वाराणसी द्वारा अभियुक्तगण राम जी सिंह, भरत भूषण सिंह, विनय सिंह, श्याम सिंह एवं श्रीमती कृष्णा सिंह प्रत्येक दोषसिद्ध को **आजीवन कारावास** एवं **5,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 0617/2013 धारा 498A, 304B, 323,506 भादवि व ¾ DP एक्ट में आज दिनांक 26.11.2025 को मा0 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट सं0 4 वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण राम जी सिंह, भरत भूषण सिंह, विनय सिंह, श्याम सिंह एवं श्रीमती कृष्णा सिंह निवासीगण मध्यमेश्वर थाना कोतवाली वाराणसी प्रत्येक को **आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संतोष तिवारी,
सहायक जिला शासकीय
अधिवक्ता वाराणसी

हे0 का0 अवधेश चौहान,
पैरोकार थाना कोतवाली

हे0 का0 राजनारायण
यादव.
कोर्ट मोहर्रिर